

धर्मनिरपेक्षता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के निहितार्थ

(लेखक- -ललित गर्ग)

आजकल धर्मनिरपेक्षता को
लेकर चलने वाली बहसें अक्सर
जिस तरह का तीखा रूप ले
लेती हैं, उसके मद्देनजर सुप्रीम
कोर्ट के अलग-अलग इन दो
फैसलों में इसकी अहमियत
रेखांकित हुई है। एक मामले में
सर्वोच्च अदालत ने धर्मनिरपेक्षता
को संविधान के मूल ढंचे का
हिस्सा करार दिया तो दूसरे
मामले में इसकी संकीर्ण व्याख्या
से उपजी गड़बड़ियां दुरुस्त कीं।
दूसरा मामला इलाहाबाद
हाईकोर्ट द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ
मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004
को रद्द किए जाने से जुड़ा था,
जिसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट
ने गलत करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो हालिया फैसलों में धर्मनिरपेक्षता की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसे और मजबूती दी है। असल में धर्मनिरपेक्षता को लेकर संविधान-निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता, समानता एवं बंधुत्व भाव से था, लेकिन बाद में यह शब्द भाषक हो गया और इसने धर्म के अस्तित्व को ही नकार दिया। राजनेताओं ने अपने-अपने हितों को साधने के लिये इस धर्मनिरपेक्षता शब्द के वास्तविक अर्थ एवं भावना को ही धुंधला दिया। सर्वोच्च अदालत ने बीते सोमवार को संविधान के 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बाबत धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा बताया और स्पष्ट संकेत दिया है कि धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी देशों से आयातित शब्द के नजरिये से देखने के बजाय भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में देखना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूल विशेषता बताते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान में वर्णित समानता व बंधुत्व शब्द इसी भावना के आलोक में वर्णित हैं। साथ ही धर्मनिरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र की अपरिहार्य विशेषता बताते हुए कहा कि यह समाज में व्यापक दृष्टि वाली उदार सोच को विकसित करने में सहायक है। जिसके बिना स्वरस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो राष्ट्रीय एकता का भी आवश्यक अंग है।

ध्यातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ा गया, लेकिन ‘पन्थनिरपेक्ष’ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी अन्य भाग में नहीं किया गया है। वैसे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जिनके आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है वयोंकि भारत का संविधान देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन

किया गया है। इसका कारण भारत में अनेकों धर्म और सम्प्रदाय प्रचलित हैं। अतः संविधान निर्माताओं ने इसको धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्वीकार किया। भारतीय समाज का बहुधर्मी व विभिन्न संस्कृतियों का गुलदस्ता होना भी इसको अपरिहार्यता को दर्शाता है। निश्चित रूप से अदालत ने इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक सुविधा के लिये तत्ख्या दिखाने वाले नेताओं को भी आईना दिखाया है। पूर्व राष्ट्रपिता डा. एस. राधाकृष्णन् ने धर्म निरपेक्षता शब्द के व्यापक हार्द को स्पष्ट करते हुए कहा था—‘धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन् इसका अर्थ पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। निरपेक्ष का अर्थ है कि राष्ट्र की ओर से किसी धर्म विशेष का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। सब धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाएगा।’ भारत के लोकतंत्र एवं संविधान की यही विशेषता है कि इसमें किसी एक धर्म को मान्यता न देकर सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है।

आजकल धर्मनिरपेक्षता को लेकर चलने वाली बहसें अक्सर जिस तरह का तीखा रूप ले लेती हैं, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग इन दो फैसलों में इसकी अहमियत रेखांकित हुई है। एक मामले में सर्वोच्च अदालत ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा करार दिया तो दूसरे मामले में इसकी संकीर्ण व्याख्या से उपजी गडबडियां दुरुस्त कीं। दूसरा मामला

मुख्यधारा में आने को तैयार है? क्या मदरसे एक धर्म-विशेष से जुड़ा मामला नहीं है? अदालत का यह मानना कि मदरसों पर रोक लगाने के बजाय उनके पाठ्यक्रम को वक्त की जरूरत और राष्ट्रीय सोच के अनुरूप ढाला जाना चाहिये, उचित एवं संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। जिससे छात्रों की व्यापक दृष्टि विकसित हो सके। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या मदरसे अपने पाठ्यक्रम को संकीर्ण दायरों से बाहर निकाल कर व्यापक परिवेश में नया रूप दे पायेंगे? ऐसा होता है तो अदालत की सोच से भारत की एकता एवं अखण्डता को नयी ऊर्जा मिलेगी। फिर तो अदालत का दो टूक कहना कि यदि किसी भी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कमज़ोर पड़ती है तो अंततः इसका नुकसान समाज व देश को ही उठाना पड़ेगा, सही है। भारतीय समाज में सदियों से फल-फूल रही गंगा-जमुनी संस्कृति के पोषण देने के लिये सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों को समानता से, बंधुत्व भावना से एवं उदारता से ही देखा जाना चाहिए।

आज धर्म-निरपेक्षता शब्द को लेकर राजनेता एवं राजनीति दो भागों में बंटी हुई है। समाज भी दो भागों में बंटा है। आजादी के समय एवं संविधान को निर्मित करते हुए अंग्रेजी के सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्म करना भ्रामक हो गया। तब के इसी धर्म-निरपेक्ष शब्द के कारण आज विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, जिसका परिणाम यही है कि आज विद्यार्थियों का सर्वांगीण

साम्प्रदायिक कटूरता में सहिष्णुता नहीं होती है अतः राजनीति किसी सम्प्रदाय विशेष की अवधारणा से संचालित नहीं होनी चाहिए। इसलिये संविधान में धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर सम्प्रदाय-निरपेक्ष, मजहब-निरपेक्ष अथवा पंथ-निरपेक्ष शब्द का प्रयोग होना चाहिए। सम्प्रदाय निरपेक्ष होने का तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष, धर्मीहीन या धर्मविरोधी होना नहीं है।

इसी कारण धर्मनिरपेक्ष शब्द के कारण राजनैतिक दलों के अलग-अलग खेमे बन गए। इससे धर्म विशेष को लेकर पार्टी के द्वारा वोटों की राजनैतिक चलने लगी। इसीलिये आवार्य श्री तुलसी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पी. वी. नरसिंहराव से इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा— “जब तक सेक्युलर शब्द का सही अर्थ नहीं होगा, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की समस्या नहीं सुलझ सकती।” राजीव गांधी ने इस संदर्भ में नोट्स मार्ग। उन्हें विस्तार से सारी बातें उपलब्ध कराई गईं। कुछ समय बाद संविधान में सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष बदलकर संप्रदायनिरपेक्ष कर दिया गया। लेकिन संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ कोई छेड़छड़ नहीं की गयी। इसीलिये संविधान के 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। सर्वोच्च अदालत के फैसले से यह भी साफ हुआ कि संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने का मतलब यह नहीं है कि इससे पहले धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं थी। चाहे समानता के अधिकार की बात हो या संविधान में आए बंधुत्व शब्द की या फिर इसके पार्ट 3 में दिए गए अधिकारों की, ये सब इस बात का साफ संकेत है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। अदालत ने यह भी कहा कि याहे धर्मनिरपेक्षता हो या समाजवाद, इन्हें पश्चिम के संदर्भ में देखने की जरूरत नहीं। भारतीय परिवेश ने इन शब्दों, मूल्यों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं को काफी हद तक अपने अनुरूप ढाल लिया है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस की उदारता भाजपा के लिए चिंता का विषय

(लखक- दिलाप कुमार पाठक)

समरक्षता का सामना

का सवाच्च अदालत न अपने दो अहम फसलें कि धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी देशों से आया तित्व

दिया है कि धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी देशों से आयातित शब्द के नजरिये से देखने के बजाय भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में देखना चाहिए। साथ ही यह भी कि भारतीय संदर्भ में यह सोच सदा से रची-बसी रही है। धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूल विशेषता बताते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान में वर्णित समानता व बंधुत्व शब्द इसी भावना के आलोक में वर्णित हैं। साथ ही धर्मनिरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र की अपरिहार्य विशेषता बताते हुए कहा कि यह समाज में व्यापक दृष्टि वाली उदार सोच को विकसित करने में सहायक है। जिसके बिना स्वरूप लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो राष्ट्रीय एकता का भी आवश्यक अंग है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने अपने दो हालिया फैसलों के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की विस्तृत व्याख्या की है। पहले बीते सोमवार को संविधान के 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बाबत कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा बताया। वहीं अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर अपनी संविधा अनुसार व्याख्या नहीं की जा सकती। कोर्ट का निष्कर्ष यह भी था कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े जाने से पहले भी यह भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण सोच रही है। अदालत का कहना था कि समानता व बंधुत्व शब्द इसकी मूल भावना को ही अभिव्यक्त करते हैं। वैसे भारतीय समाज ने इस शब्द के मूल भाव का सहजता से अंगीकार किया भी है। यही वजह है कि कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल स्वर बताते हुए इसकी संकुचित व्याख्या करने से बचने के लिये कहा। भारतीय समाज का बहुधर्मी व विभिन्न संस्कृतियों का गुलदस्ता होना भी इसकी अपरिहार्यता को दर्शाता है। निश्चित रूप से अदालत ने इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक सुविधा के लिये तल्खी दिखाने वाले नेताओं को भी आईना दिखाया है। निस्संदेह, यह वक्त की जरूरत भी है। वहीं दूसरी ओर बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एकट 2004 को रद्द करने के फैसले को भी अनुचित ठहराया। इसके बजाय कोर्ट ने ऐसे कदम उठाने की जरूरत बतायी जो मदरसों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ सकें। कोर्ट को मानना था कि ऐसे मामलों की की गई संकुचित व्याख्या से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इससे पहले संविधान के 42वें संशोधन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से तल्ख सवाल भी किए थे। कोर्ट न जानना चाहा कि वयों उन्हें देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से परहेज है। इस बाबत याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि उन्हें देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से परेशानी नहीं है। उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों के लिये कालांतर संविधान संशोधन के जरिये इस शब्द को शामिल करने पर आपत्ति है। दरअसल, अदालत का कहना था कि भारतीय यीवन दर्शन में इस सोच का गहरे तक अंगीकार किया गया है। साथ ही कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एकट को रद्द करने को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत बताया। यह भी कि इस शब्द की संकुचित व्याख्या के चलते ही उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों के लाखों छात्रों का भविष्य अंधर में लटक गया था। अदालत का मानना था कि मदरसों पर रोक लगाने के बजाय उनके पाठ्यक्रम को वक्त की जरूरत और राष्ट्रीय सोच के अनुरूप ढालना जाना चाहिये। जिससे छात्रों की व्यापक दृष्टि विकसित हो सके। अदालत ने दो टूक कहा भी कि यदि किसी भी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कमज़ोर पड़ती है तो अंततः इसका नक्सल समाज तेरें को ही उठाना पड़ेगा।

विधानसभा चुनाव होना है। महायुति में सीटों बंटवारे पर सहयोगी दलों के साथ सहम पहले ही बन चुकी है। अब महा विकास अधिकारी की बारी है। हालाँकि महा विकास आषाढ़ी 85-85-85 सीटों का फार्मूला निकाला बांकी बची हुई सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहा है, लेकिन उद्घव टाकरे कांग्रेस को पूरी संख्या देना नहीं चाहते। वक़्त कोई भी हो सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा बिल्कुल आसान नहीं होता। राजनीति पल - पर बदलती है, खासकर राजनीति नम्बरों पर टिकी हुई होती है। हरियाणा की जीती हुई बांकी बची होती है। राजनीति के बाबत एक बांकी बची होती है। राजनीति नम्बरों पर टिकी हुई होती है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस खासी मज़बूत स्थिति है। जिस महाराष्ट्र में भी कांग्रेस खासी मज़बूत स्थिति है। जिस महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपने दलों के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ती रही जबकि अब तो शरद पवार - और कांग्रेस के साथ उद्घव टाकरे भी आ गए हैं। हालाँकि ज्यादा मज़बूत सहयोगियों के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना ही पड़ता यही गठबंधन धर्म है जो कांग्रेस निभाती है। दिख रही है। जो तात्कालिक हरियाणा हार कीमत है जो महाराष्ट्र में चुकानी पड़ रही

यही कीमत है जो हर बार कांग्रेस चुकाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्षेत्रीय नेताओं के कारण जो खुद ही सबकुछ हासिल करना चाहते हैं। कहाँ तो कांग्रेस हारियाणा विधानसभा चुनाव में जीतकर महाराष्ट्र के महा विकास आघाडी में बड़े भाई की भूमिका चाहती थी, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। हारियाणा हार - जाने के बाद कांग्रेस को भाजपा से सीधी टक्कर में बेहद कमज़ोर माना जा रहा है, कांग्रेस ने हारियाणा में भाजपा से सीधे टक्कर में थी यही कारण है कि हारियाणा हारने के बाद कांग्रेस को निधान बनाया गया है। यही कारण है ये भी है कि शरद पवार - संजय रातड़ कांग्रेस के साथ अच्छी खासी बार्गनिंग करके फायदा उठा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की उदारवादी सोच भाजपा के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हालाँकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में लोकसभा वाला शानदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही है हारियाणा इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर जीती हुई बाजी पार्टी ने गंवाई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें जीती हैं, यहां भी 11 सीटों पर उसने बीजेपी प्रत्याशी को मात दी थी। अतः अब संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि बीजेपी को हराने में सिर्फ़ कांग्रेस सक्षम है। ऐसे में पार्टी को अगर फिर महाराष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी है उसे हर कीमत पर अपने पारंपारिक घोटबैंकों को मजबूत करना होगा। यानी कि पार्टी को

दलित, मुस्लिम और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए भरपूर कौशिश करनी चाहिए। जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव ने मराठवाड़ा के मराठा आंदोलन ने कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाई, फिर कुछ वैसा ही कमाल पार्टी को करना पड़ेगा। स्थानीय मुद्दों को आगे लेकर चलना होगा।

महाराष्ट्र में 85 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र में अपना सीएम नहीं बना पाएगी, अब तो यही लग रहा है। चंकि पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि सीएम पद तो उद्घव ठाकरे को दे दिया गया था क्योंकि समय की डिमांड कुछ ऐसी ही थी। अब जाहिर है कि कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, यही कारण है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में वैसी नहीं दिख रही जैसी कांग्रेस कभी होती थी। महाराष्ट्र में भाजपा - कांग्रेस दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं की बलि दे रही हैं, जहां बेहद कम सीटों वाले शिंदे को भाजपा ने सीएम बना दिया था। जबकि कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए उद्घव ठाकरे को सीएम बना दिया था। देखा जाए तो हर राज्य का चुनाव दूसरे राज्यों से अलग होता है, सभी के मुद्दे अलग होते हैं। भाजपा महाराष्ट्र को हरियाणा की तरह जीतना चाहती है, जबकि महाराष्ट्र एवं हरियाणा में कुछ फर्क हैं जो कांग्रेस के लिए राहत की बात हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी हर बार आपसी खींचातान अंदरुनी कलह, गुटबाजी में अवल रही है, कांग्रेस में अनुशासन की

पारी कमी दिखती रही है, जबकि भाजपा अपनी अंदरुनी मामलों को पहले ही निपटा ली तो है। कांग्रेस की अंदरुनी कलह भाजपा के लए हमेशा फायदे का सबव होती रही है। इरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश इसके ताजा दाहरण हैं।

हालाँकि कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एक बहुत की बात यह जरुर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस किसी एक लोकल नेता पर निर्भर नहीं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और चिन पायलट को लेकर विवाद था, हारियाणा में हुड्डा बनाम शैलजा की जंग थी। ऐसी में अमलनाथ की मनमानी थी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी उसके अलग-अलग इलाकों में अलग अन्धारी नेता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में महत्वकांक्षा या सत्ता की वो रस्साकाशी हां देखने को नहीं मिलने वाली। उदाहरण के लए लातूर में अमित देशमुख, गढ़चिराली और द्रुपुर में विजय वडेवीवार, भंडारा में नानाटोले अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, हाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं की अंदरुनी कलह ऐसी काई स्थिति नहीं है जबकि अभी सीएम नने - बनाने की बात अभी दूर की बात है। योंकि अभी महा विकास आधारी चुनाव लड़ने वाले फोकस करना चाहेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का अपने नेताओं पर अंकुश पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है जबकि भाजपा के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, वयोंकि भाजपा के लिए जीत की राह यहीं से बनना चाहुर होती है।

(चिंतन-मनन)

स्वस्थ समाज के लिए करें आत्म जागरण

पिछल कुछ समय से अध्यात्म क क्षेत्र में बाजारवाद का प्रभाव बढ़ा है। इसी वजह से अध्यात्म के क्षेत्र में भी अवमूल्यन हुआ है। अतः स्वस्थ समाज के लिए आत्म जागरण जरूरी है। जूना पीटाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद के अनुसार अध्यात्म के क्षेत्र में बाजारवाद ने प्रभाव डाला है और यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक युग है। इसमें पदार्थ की अधिक इच्छा के कारण व्यक्ति अशांत रहता है। अति योगवाद स्वच्छ और अनियन्त्रित भोगवाद के कारण स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हर मनुष्य को अनुशासित व संस्कारित होना होगा, तभी वह समाज व सुषिट के लिए

उपयोग हांगा आर व्याक का संस्कारत करना हा अध्यात्म का काम है। आज मनुष्य उपभोक्ता बनकर रह गया है। जागो ग्राहक के नारे पर सिर्फ बाहर से जगाया जा रहा है, जबकि आज आवश्यकता है आत्म जागरण की। आध्यात्मिक अनुष्ठान से ही व्यक्ति के अंतर को जगाया जा सकता है। मनुष्य ने जल, वायु और पृथ्वी की निरंतर उपेक्षा से बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। आज पीने लायक जल सिर्फ ढंड प्रतिशत बचा है। अगर अब भी मनुष्य नहीं जागा तो जल संकट और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने का काम हो रहा है, ऐसे में अत्यंत प्राचीन काल में बने

रामसंतु का भा सरक्षित करना चाहें। यह धम विश्व
नहीं बल्कि मानव मात्र की योग्यता और क्षमता का
ऐतिहासिक प्रमाण भी है। उत्तरकाण्ड एक ऐसी कथा का
वर्णन है जिसमें सभी का निचोड़ है। जो व्यक्ति अपनी
ज्यादा प्रशंसा सुनना पसंद करता है, वह कभी ऊँचाई नहीं
छू पाता। यही अवगुण दशानन रावण में भी था। वह
अपनी गलती को स्वीकार न करते हुए प्रशंसा सुनने में
ज्यादा मन लगाता था। रावण को कई बार उसकी पत्नी
मन्दोदरी और भाई विभीषण ने समझाया लेकिन उसे बात
समझ नहीं आई। इसीलिए प्रभु श्रीराम के हाथों रावण का
का नाश हुआ।

विचार मंथन

(लखक-सनत जन)

रातभर रुक रहा। डरा धमकाकर सुबह बक्स मलिक को बैंक में ले जाकर उससे रकम वसूलने की कोशिश की। इसी बीच फार्म हाउस के मालिक ने अपने वकील और दोस्तों को फोन कर दिया। बैंक अधिकारियों ने भी गेट बंद करने की कोशिश की। इससे घबराकर फर्जी ईडी के अधिकारी बैंक से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने साथियों को फार्म हाउस में भी सूचना दे दी, वहां से वह भी भाग गए। फार्म हाउस के मालिक की सूझ-बूझ से इस घटना का पर्दाफाश हुआ। वह लुटने से बच गया। जब इसकी शिकायत पुलिस और ईडी के अधिकारियों को दी गई। ईडी के अधिकारियों ने छापे की कोई पुष्टि नहीं की। उसके बाद पुलिस ने लुटेरों को ढूँढने की कार्रवाई शुरू

का। अभा तक पुलस किसा का भा गिरपतार करने में सफल नहीं हो पाई है। यह घटना भारत में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। भारत में जांच एजेंसी किस तरह से काम करती हैं। उनका किस तरह का भय आम लोगों के बीच है, यह उजागर होता है। इस घटना से स्पष्ट है कि ईडी के नाम पर ठगी का रैकेट देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह से चल रहा है। प्रवर्तन निर्देशालय, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण रखना है। ईडी को जांच और गिरपतारी के लिए विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ईडी का भय और उसकी अपराधिक छवि गेंगस्टर की तरह बनती जा रही है। ईडी जिन लोगों को गिरपतार

करता हुआ अपछल वधा मे इडा का
अधिकारियों ने जिन्हें गिरफ्तार किया। उनमें
बड़े-बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारतीय
प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और बड़े-बड़े
कारोबारी शामिल थे। उनकी कई महीने तक
न्यायालय से जमानत नहीं हुई। जिसके कारण
ईडी का भय आम लोगों में बड़ी तेजी के साथ
फैल गया है। ईडी का नाम सुनते ही लोगों में
डर और भय पैदा हो जाता है। ईडी के नाम का
फायदा उठाकर अपराधी गिरोह भी बड़े पैमाने
पर ठगी करने लगे हैं। केंद्रीय प्रवर्तन
निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों, जिनके
पास व्यापक रूप से गिरफ्तारी के अधिकार हैं
उन जांच एजेंसी के अधिकारी किस तरह से
लोगों को प्रताड़ित करते हैं। किस तरह से झटौ

मामल बनात ह। अब यह बात किसा से छिपा
हुई नहीं रही। समय-समय पर जांच एजेंसी के
अधिकारी और कर्मचारियों के आचार-व्यवहार
की जांच सरकार को करानी चाहिए।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तथ की जानी
चाहिए। ताकि कोई व्यक्ति जांच एजेंसियों के
नाम का दुरुपयोग ना कर सके। राजधानी
दिल्ली के पास छतरपुर में इस तरह की
घटनाओं का होना हर किसी को डराने के लिए
पर्याप्त है। कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने
और लोगों के मन में जांच एजेंसियों को लेकर
विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को विशेष
प्रयास करने होंगे। पिछले कुछ महीनों में जिस
तरह ईडी के अधिकारियों द्वारा वसूली किए
जाने के मामले सामने आए हैं। उसके बाद से

अपराधा प्रारंभ आर ठग इडा के आधकार
बनकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और ठगी
करने लगे हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ठगी
के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।
गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में नकली
कोर्ट, नकली जज, नकली वकील और नकली
फैसले से किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा
है। यह भी सामने आ चुका है। ऐसी स्थिति में
सरकार को ठगी की इन घटनाओं को रोकने
के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। जिस तरह
से ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके
बाद सरकार की छवि पर भी इसका विपरीत
असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य
सरकारों को इस मामले में सजग होने की
जरूरत है।



अगर बच्चा होमवर्क न करे तो करें बातचीत

अभिभावकों को अक्सर लगता है कि बच्चे स्कूल में अच्छा करें यह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। यह जिम्मेदारी चिंता में तब्दील हो जाती है। आपके विचार बच्चे के बिंगड़ते भविष्य तक भी पहुंच जाते हैं। और ऐसा न हो इसके लिए सही तरीके से किया गया होमवर्क पहला कदम नजर आने लगता है।

इस कारण आप बच्चे को बार बार होमवर्क करने के लिए कहते हैं। उसकी नोटूटुक देखकर जानने की कोशिश करते हैं आखिर आज का काम क्या है। कुछ समझ आता है कुछ नहीं समझ पाते। जानिए आखिर कैसे आप बच्चे को करा सकते हैं होमवर्क आसानी से और डाल सकते हैं उनके कुछ बहुत अच्छी आदतें डालें।

बच्चे के साथ बैठिए

अपने बच्चे के साथ बैठिए और उसके साथ अपनी आगे आगे गाले साल के विषय में बातचीत कीजिए। बेहतर होगा एकेडिमिक ईयर की शुरुआत में ही प्लान बन जाए ताकि आपके और बच्चे के पास भरूर वर्क और मौका रहे। ऐसी इच्छाएं ही रखिए जो हो सकती हैं। जरुरत से अधिक अपेक्षाएं बच्चे पर अतिरिक्त मानसिक बोझ डाल सकती हैं। अपने बच्चे के कमज़ोर क्षेत्रों को पहचानें। उसका पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड और उसका अनुभव इसमें आपकी मदद करेगा। इस हिस्से पर आपको और बच्चे को अधिक काम करना है।

दिन के घंटे बाटिए आपके बच्चे की पिछले साल भी कुछ दिनरात्री रही होगी। इस बार टाइमटेबल में उन गतियों को जगह न दें जो पिछले साल परेशानी का कारण बन गई थीं। हो सकता है पिछले साल बच्चे का सोने और होमवर्क का समय एक ही हो ऐसे में टीवी के टाइम में कटौती कर थोड़ा पहले होमवर्क करना समझदारीभर होगा।

होमवर्क को रोचक बनाने की कोशिश करें क्या आपका बच्चा पढ़ने से जी चुराता है? ऐसे में आप दूसरे बच्चों के उदाहरण देकर उसे इस्पात करने की कोशिश करने में उसके मन में जलन और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। बच्चा न पढ़ने के बड़ाने दूढ़ने लगता है। बच्चे को दूसरे बच्चे के उदाहरण देने के बड़ले, पढ़ाई को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करें। ऐसे नए तरीके खोजने की कोशिश करें जिसमें बच्चे का मन लगे। आप अपने बच्चे को सबसे बेहतर जानते हैं और आप ही उसकी पसंद की एविटिटी आसानी से खोज सकते हैं।

होमवर्क प्लान का आंकलन करें एकेडिमिक ईयर की शुरुआत में बनाया गया प्लान हो सकता है सही न हो। इस समस्या के उपाय के तौर पर बीच बीच में इस प्लान का मूल्यांकन करें। आपने बच्चे से सलाह मशवरा करें और अगर जरुरी लगता है तो इसमें बदलाव अवश्य करें।

बच्चों को भी काम की अधिकता इतनी होती है कि आगर सही टाइमटेबल मैटेन नहीं किया जाए तो काम इकट्ठा हो जाता है और समस्या बहुत बढ़ जाती है। होमवर्क सही तरीके से होना रहे इसके लिए जरुरी है कि आप टाइमटेबल फॉलो होने पर ध्यान दें। स्कूल के बाद दों अधे घंटे का ब्रेक स्कूल से लौटने के बाद बच्चे को आधे घंटे का ब्रेक दें। इस दौरान बच्चा न तो टीवी देखें, न ईमेल चेक करें और न ही वीडियों गेम्स खेलना शुरू करें। अगर बच्चा इन सब में लग जाता है तो वह अधे घंटे के बाद उठने से रहा। बजाय रात में होमवर्क के बच्चे को दिन में अधिकतर काम निपटा लेने के लिए प्रेरित करें। रात में घर के सभी सदस्य घर पर होने से बच्चे का मन टीवी और सभी के साथ बैठने का रहता है। ऐसे में अकेले बैठकर पढ़ना मुश्किल काम है।



आजकल एकल परिवार हैं। ऐसे में बढ़ती महागाई और खर्चों के कारण अब माता-पिता दोनों काम करते हैं और इस कारण उन्हें ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे में देखा गया है कि बच्चे, विशेषकर अकेला बच्चा, खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करता है। ज्यादातर मामलों में अभिभावक अपने बच्चों के साथी के तौर पर पालतू जानवरों परसंदीदा (पेट्स) को रखते हैं। एक पालतू जानवर बच्चे के भाई-दोस्त या परिवार के सदस्य की जगह नहीं ले सकता, परं यह बच्चे के खालीपन को जरूर भर सकता है। बच्चा इनके साथ खेलते हुए कई चीज़ों सीखता है।

ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को मजबूत बनना सिखाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा घर में किसी पेट्स के साथ बड़ा होता है तो वह ज्यादा संवेदनशील होना सीखता है। वह इनके बीमार होने पर दर्द समझता है। पेट्स के साथ वक्त बिताने का एक अन्य फायदा यह होता है कि बच्चे ज्यादा सरकर रहना सीख जाते हैं। वह जान जाते हैं कि कब उसे भूख लगी है। पालतू जानवरों की देखभाल करते वक्त कंयरिंग, संवेदनशील और चौकी रोकना रहने की जरूरत होती है और पेट्स के साथ वक्त बिताते हुए बच्चे का कम उम्र में ही इन खूबियों को अपने अंदर डाल लेते हैं। पेट्स के साथ बड़े होने का एक अन्य फायदा है कि इससे बच्चे जिम्मेदार बनना सिखाता है क्योंकि वह अपने प्यारे पेट्स की सभी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। यदि बच्चे को उसके पेट्स के खाने, घुमाने


बच्चों को जिम्मेदार भी बनाते हैं पेट्स

और डॉक्टर का आपॉइंटमेंट लेने जैसी जिम्मेदारी दे दी जाएं, तो वह अपने काम को सही तरीके से अंजाम देते हैं।

बच्चों को जिंदगी और मौत की अवधारणा के बारे में समझाना बहुत मुश्किल होता है। पेट्स के साथ रखकर उन्हें जिंदगी और मौत के चक्र के बारे में बताया जा सकता है।

एक अभिभावक होने के नाते आप अपने पालतू जानवर के जीवन का हर प्लाय देखते हैं। आप उसके बचपन से लेकर उसे बड़ा होते हुए और फिर बुद्धावस्था में जाने के बाद उसकी मृत्यु को भी देखते हैं। उनकी यह जिंदगी और मौत हमें इंसान के जीवन के पूरे चक्र के बारे में बताते हैं।

अपने साथ पेट्स को रखना अपने अच्छे दोस्त को घर पर रखने जैसा होता है। घर में रहने वाला पेट्स न सिर्फ घर में सभी के लिए तनाव दूर करने वाला बनता है बल्कि आपके बच्चों को रचनात्मक रूप से व्यस्त भी रखता है। पेट्स की देखभाल करते हुए बच्चे दयातु, निस्वार्थ, कंयरिंग और जिम्मेदार बनना सीखते हैं। घर में रहने वाले पेट्स आपके बच्चे को सही और आसान तरीके से बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं।



बच्चों के टिफिन को ऐसे करें तैयार

बच्चे बहुत मूढ़ी होते हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चों का खाना इस तरह का हो, जिससे उन्हें अधिक से अधिक पौष्टिक तत्व मिल सकें और यह उनकी पसंद का भी होना चाहिए। अक्सर बच्चे फल और सलाद खाने में आनंदकारी करते हैं, परं उन्हें विभिन्न शौध, साइड और डिजाइन में काटकर और कलरफुल लुक देकर खाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

इस प्रकार का खाना रखें

कुछ बच्चे खाने में अधिक समय लगते हैं। इसलिए खाना स्वादिष्ट, साद व आसानी से खानेवाला होना चाहिए।

कई बार खाना टिफिन में इस तरह से पैक किया हुआ होता है कि बच्चे हाथ गंडे कर लेते हैं या पैकिंग खोल नहीं पाते हैं। इसलिए टिफिन में लंच इस तरह से पैक करें कि बच्चे आसानी से खोल व खा सकें। सैंडविचेज, रोल्स और पांटा को काटकर दें, ताकि बच्चे आसानी से खा सकें।

यदि लंच ब्रेक के लिए सेब, तरबुज, केला आदि दे रही हैं, तो उन्हें छोलकर और बीज निकालकर और स्लाइस में काटकर दें।

टिफिन खरीदते समय ध्यान दें

टिफिन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि टिफिन ऐसा हो, जिसे बच्चे आसानी से खोल सकते।

बच्चों को टिफिन में फ़ाइल फूड न दें। यदि कटलेट, कबाब व पेटिस आदि दे रही हैं, तो वे भी ढीप फ़ाइल हुए न हों।

लंच में खाने की अलग-अलग फूट्स दें, तो कभी सैंडविच, कभी वेज रोल, तो कभी स्ट्रप्ड पराग।

बच्चों को टिफिन में फूट्स व वेजिटेबल (कपड़ी, गाजर आदि) सलाद भी दे सकती हैं, लेकिन सलाद में केवल एक ही फल, कपड़ी या गाजर काटकर न दें, बल्कि कलरफुल सलाद बनाकर दें। बच्चों को कलरफुल खोजें।

कपड़ी, गाजर और फल आदि को शेप कर लें के बाद वे देखने में अच्छे लगते हैं और विभिन्न शेप्स में कटी हुई चीज़ों को देखकर बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं।

सलाद को कलरफुल और न्यूट्रिशनियस बनाने के लिए उसमें इच्छानुसार काला चना, काबुली चना, कॉर्न, बादाम, किशमिश आदि भी डाल सकती हैं।

ओमेगा3 को 'ब्रेन फॉड' कहते हैं, जो मस्तिष्क के विकास में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए उन्हें लंच में वॉलनट, स्ट्रॉबेरी, कॉवी फट, सोयाबीन्स, फूलगोभी, पालक, ब्रोकोली, पलैक्ससीडी से बनी डिश दें।

मटीग्रेन ब्रेड रहेगी अच्छी

हाइट ब्रेड (मैटेवाली ब्रेड) खास्त्य को नुकसान पहचानती है, इसलिए उन्हें लंच में ब्रेड की जगह मैटीग्रेन ब्रेड से बने सैंडविचेज और

